पत्रक

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी– सुशील कुमार सैनी आर.ए.एस. नवलगढ़

ओमप्रकाश पुत्र चतरसाल जाति पुरोहित निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।	–बनाम–	कुशलाराम पुत्र धोंकलराम जाति मेघवंशी निवासी सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
किस्म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. ...93..../2025 GCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
09.05.2025	आज यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील **श्री मुकेश पारिक** द्वारा विरूद्व अनावेदकगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन कर दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खरीटों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 3.0900 है0 भूमि आवेदकगण व अनावेदक संख्या 01 की पैत्रिक भूमि है। उक्त भूमि में अनावेकदगण आवेदक के हक हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर खुर्द बुर्द करने पर अमादा है। अतः अनावेदकगण को तादौराने दावा उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को एकपक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादित भूमि राजस्व ग्राम खरीटों की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 3.0900 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। **उक्त आदेश प्रचलित, कटाणशुदा व रिकोर्डेड रास्तों पर तथा किसी दीगर न्यायालय के आदेश पर प्रभावी नही होगा।** किसी भी अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के जबाब प्रस्तुत करने के बाद वकील प्रार्थी बहस हेतु बाध्य होंगे। आवेदक सी0पी0सी0 रूल 39(3) की पालना सुनिश्चित करें। अनावेदकगण की तलबी आवेदक के खर्चे पर इस आदेश के प्राप्त होने के 24 घण्टे मे जरिये रजि0 डाक से जारी हो। इस आश्य का सपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पेशी पर वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड डाक की रसीद व उनकी डिलीवरी रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18/6/25 को पेश हो। सुशील कुमार सैनी(R.A.S.) ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰) नवलगढ।	
20/5/25	पत्रावली आज आवेदक अधिवक्ता तथा आवेदक द्वारा मा. पत्र मय तलबी खर्चा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः मामला/पत्रावली को Not press कर आगे नहीं चलाना जाहिर करने पर पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] नम्बर से [illegible] cont..	[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini

Date: 2025.07.25 13:49:15 IST

Reason: SelfAttested

cont.. होने के बाद सम्मिलित जाना पारित

किया जाता है

ए.सी.ई.एम. (प्र. टे.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested